INTERNATIONAL YEAR OF MILLETS 2023

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान/Central Farm Machinery Training & Testing Institute
ट्रैक्टर नगर, बुदनी; (म.प्र.)/TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466445
Website:http://www.fmttibudni.gov.in Email: fmti-mp@nic.in Extn:07564-299003 GSTIN:23AAAGC0890H1ZS
(AN ISO-9001:2015 CERTIFIED INSTITUTE)

फा.सं./F.No.: 17-8/2021-Estt दिनांक/Date: 28-08-2023

परिपत्र/CIRCULAR

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण नियम), 1964 के नियम 20 का उल्लंघन/ Violation of Rules 20 of Central Civil Services (Conduct Rules), 1964

मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा. संख्या ए-58011/14/2023-ई-I, दिनांक 28.07.2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी ने इस विभाग के संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के कई अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने स्थानांतरण/प्रतिधारण के लिए अपने अनुरोधों को माननीय मंत्रियों/सांसदों (लोकसभा/राज्यसभा)/अन्य प्राधिकारियों/बाहरी प्रभाव के माध्यम से अनुकूल विचार हेतु अग्रेषित करने के कदाचार का कृत्य किया है, को गंभीरता से लिया है।

The ministry, vide its OM No. A-58011/14/2023-E-I dated 28.07.2023 has conveyed that the Competent Authority at the ministry has viewed seriously the act of misconduct by numerous officers/ officials of attached/subordinate offices of this Department who have forwarded their requests for transfer / retention through Hon'ble Ministers/ MPs (Loksabha/ Rajya Sabha)/ other authorities/outside influence for favourable consideration.

ऐसा आचरण केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण नियम), 1964 के नियम 20 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि "कोई भी सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी दबाव नहीं लाएगा या लाने का प्रयास करेगा"।

Such conduct is a clear violation of Rules 20 of Central Civil Services (Conduct Rules), 1964 which states that "No Government servant shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Government".

अतः संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस तरह के कदाचार से दूर रहने के लिए सख्त चेतावनी दी जाती है और ऐसे कदाचार के लिए दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

Therefore; all the officers/ officials of the Institute are cautioned in strict sense to refrain from such act of misconduct and appropriate disciplinary action will be initiated against any officer/officials found guilty of such misconduct.

(बिकास कुमार पाणीग्रही)
उपकरण अभियंता एवं कार्यालय प्रमुख
कृते निदेशक

वितरण:-

1. सभी अनुभाग अधिकारी - कार्यालय/लेखानुभाग/प्रशिक्षण/परीक्षण/उपकरण/फार्म/पुस्तकालय/राजभाषा/ छात्रावास - अपने अधीनस्थ कार्य कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच परिचालनार्थ हेतु।
2. समस्त नोटिस बोर्ड - कार्यालय/पशिक्षण/परीक्षण/मुख्यद्वार/छात्रावास।
3. श्री रविशंकर कुमार, उपकरण अभियंता- संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रतिलिपि- निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।

कृते निदेशक